



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 6654 / अका. / सम्बद्धता / 2009

रायपुर, दिनांक : 29 / 06 / 2009

॥ आदेश ॥

स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 17 / 18.06.2009 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शिवा महाविद्यालय, मैत्री विहार, राधिका नगर सुपेला, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को निम्न दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है। स्थायी समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर अंतिम निर्णय कार्यपरिषद की बैठक में किया जायेगा।

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	बी.बी.ए. - प्रथम वर्ष	40	2009-010

शर्तें :-

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. शिक्षक/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
3. महाविद्यालय का संचालन बिना लाभ-हानि के आधार पर किया जावे।
4. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लेवें।
5. अध्यादेश-7(7) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रवेश के अंतिम दिवस के 7 दिवस के भीतर, प्रवेशित छात्रों के नामों की सूची विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करावें।
6. इण्डोमेंट फण्ड हेतु रु. 50,000/- कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में तत्काल जमा कर एफ.डी.आर. की छाया प्रति विश्वविद्यालय में जमा करें।
7. बी.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु परिनियम 28 के तहत 03 माह के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

आदेशानुसार,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

RM

रायपुर, दिनांक : 29 / 06 / 2009

पृ. क्रमांक : 6655 / अका. / सम्बद्धता / 2009

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
3. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
4. संचालक, शारीरिक शिक्षा / विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला / सम्बन्धित लिपिक (अका.),
5. वि.क.अ.- परीक्षा / परीक्षा सेमेस्टर / नामांकन / गोपनीय / वित्ताधिकारी / विकास,
6. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

RM